कार्यालय अंचल अधिकारी,गोमिया(बोकारो)

अभिलेख सं0 :— 16 /2021-22

केश का प्रकार :— जमाबन्दी सुधार करने हेतु।

अंचल का नाम :— गोमिया जिला —बोकारो

आदेश की क्रम सख्या और तारीख 1	आदेश फलक 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3

15-02-22

आवेदक—कुलदीप कुमार रविदास, पिता—दासो रविदास, ग्राम—जगेश्वर बिहार, पो0—तिरला, थाना—जगेश्वर, जिला—बोकारो द्वारा आवेदन प्राप्त है। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा वर्णित है कि खाता सं0—40, प्लॉट सं0—888, रकवा—1.02ए0, प्लॉट सं0—311, रकवा—1.04ए0, प्लॉट सं0—521, रकवा—0.24ए0, प्लॉट सं0—524, रकवा—0.07ए0, प्लॉट सं0—525, रकवा—0.79ए0, प्लॉट सं0—531, रकवा—0.04ए0, प्लॉट सं0—871, रकवा—1.56ए0, प्लॉट सं0—568, रकवा—0.54ए0, प्लॉट सं0—896, रकवा—0.39डी0 कुल रकवा—5.79ए0 भूमि, का सर्वे खतियान मेरे परदादा रामदयाल राम, पिता—विरलू राम के नाम से दर्ज है। मैं उक्त भूमि का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। उक्त खतियानी भूमि को न मैनें बेचा न ही मेरे पूर्वजगण द्वारा बेचा गया है। उक्त भूमि पहले विपक्षीगण राम किसुन साहू, पिता—भगलु साहू, ग्राम—बड़गाँव, थाना—माण्डु, जिला—हजारीबाग द्वारा दस्तावेज सं0—1209 द्वारा बिक्री किया गया, जगु महतो नगु महतो दोनों के पिता—लट्टु महतो, ग्राम—जगेश्वर, पो0—तिरला, थाना—गोमिया, जिला—बोकारो दस्तावेज सं0—974 द्वारा लिख दिया। अपने बेटे रामजीत महतो, पिता—स्व0 जगु महतो दस्तावेज सं0—5444 ने लिख दिया, अपने बेटे के नाम से घनिनाथ महतो, माना महतो, लाली महतो, जाला महतो के नाम से एवं पहला विपक्षीगण राम किशुन साहू, पिता—भगलू साहू के दस्तावेज में उक्त भूमि उसे किस प्रकार से हासिल है, उसका कोई विवरण दर्ज नहीं है एवं कुल 05 प्लॉट दर्शाया गया है तथा कुल 07 प्लॉट नगु महतो व जगु महतो के नाम से दर्ज है। नगु महतो व जगु महतो के नाम से पंजी—II में कायम जमाबन्दी के प्राधिकार कॉलम में अंचल अधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त खाते की भूमि जो गलत जमाबन्दी खोलकर रसीद निर्गत की गई है, उसे निरस्त करते हुए आवेदक के पक्ष में जमाबंदी खोलने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र जाँच हेतु राजस्व उप निरीक्षक / प्रभारी अंचल निरीक्षक को दें। साथ ही उभय पक्षों को सूचना निर्गत करें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक— [illegible] / 02 /2022 को उपस्थापित करें।

15.2.22

अंचल अधिकारी
गोमिया।

07) प्लॉट बिक्री कर दिया है, अर्थात् रकवा–1.19ए0 भूमि अधिक बिक्री किया गया है। त भूमि के खतियान में कौम कहार एवं चमार को लेकर विवाद है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत खतियान एवं द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत खतियान के कौम में भिन्नता है। आवेदक जाति के रविदास है। खतियान के मूल प्रति के सत्यापन आवश्यकता है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। यह मामला स्वत्व के निर्धारण से संबंधित है, जिसके निर्धारण के लिए यह सक्षम न्यायालय नहीं है। स्वत्व के निर्धारण के लिए दोनों पक्ष सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है।

अतः जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश पारित न हो जाए। इस निवेदन के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(लेखापित)

19.12.22

अंचल अधिकारी,
गोमिया।

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2024.12.12 21:38:52 +05:30
Location: 192.168.103.73